

6.8.2)

आज प्राणवी प्राणिना पत्र पर पेश हुई
 वादी गण के वकील ने उक्त प्राणिना पत्र
 आदेश 23 नियम 1 C.P.C के तहत पेश
 किया वकील काही तथा वादी गण की
 मुजाबादा। वादी गण ने राजीनामा ही
 जाने की गजट से उक्त प्रकरण को
 चलावा नहीं चाहते है। इस ने पत्रजमी
 का अनलीफिंग किया है। वादी गण का
 प्राणिना पत्र आदेश 23 नियम 1 C.P.C
 रवीकार करने योग्य है। अतः इस वादी
 निरी किया जाता है। अतः पत्रजमी नम्बर
 से इसकी जाकर आखिरा रफत है।

कैरत

मुनेश

रमेश

Handwritten signature



उपरगडाधिकारी
 वादी (धोरपुर) उज्जैन